

क्रमांक: राफा.7(126)NRR Policy-2025 / 2025 /

दिनांक :

कार्यालय आदेश

प्रवासी राजस्थानी नीति 2025 (Non-Resident Rajasthani Policy 2025) के नीति स्तम्भ क्रमांक 1 Pillar: Accelerate के खण्ड (A) NRR Investment Facilitation की क्रियान्विति हेतु राजस्थान फाउण्डेशन कार्यालय में कार्यरत निम्न कार्मिकों के द्वारा निवेश संबंधी समन्वय कार्य का सम्पादन किये जाने के लिये '**NRR निवेश समन्वय प्रकोष्ठ**' का निम्नानुसार गठन किया जाता है:-

1. श्री अमित कुमार सिंघल, मैनेजर।
2. श्री संदीप सैनी, मैनेजर।
3. श्री लोकेश उज्जैनियाँ, निजी सहायक।
4. श्री मुकट बिहारी शर्मा, सूचना सहायक।
5. श्री हरिनारायण, सलाहकार।

प्रकोष्ठ में शामिल सभी कार्मिक प्रवासी राजस्थानियों द्वारा पूर्व में किये गये एवं नवीन किये जाने वाले एम.ओ.यू. एवं निवेश प्रस्तावों के लिए बी.आई.पी. और अन्य संबंधित विभागों से निवेशकों का समन्वय कराते हुए उन्हें सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

इस संबंध में प्रकोष्ठ के प्रत्येक कार्मिक द्वारा किये गये कार्य की मासिक रिपोर्ट श्री संदीप सैनी के माध्यम से आगामी माह की 5 तारीख तक प्रस्तुत की जाएगी।

(डॉ. मनीषा अरोड़ा)
आयुक्त
राजस्थान फाउण्डेशन

क्रमांक: राफा.7(126)NRR Policy-2025 / 2025 /

दिनांक :

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. आयुक्त, बी.आई.पी., उद्योग भवन, जयपुर।
3. आयुक्त, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित कार्मिक श्री।
5. रक्षित पत्रावली।

आयुक्त
राजस्थान फाउण्डेशन

